हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

(2)

संख्याः एसटीइ–एफ0(4)–2/2008–II   तारीखः शिमला–2, 19.03.2011

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना संख्याः ईडीएन(एस एण्ड टी)ए(3)5/98, तारीख 26–11–1998 द्वारा पुनः चक्रित प्लास्टिक से निर्मित रंगीन पॉलीथीन कैरी बैगज को 1–1–1999 से प्रतिबंधित किया गया था तथा इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्याः एसटीई–ए (3)–4/2003, तारीख 4–6–2004 द्वारा हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की अनुसूची में सूचीबद्ध जीव अनाशित सामग्री से निर्मित कैरी बैगज, जिनकी मोटाई 70 माईक्रोन से कम और आकार 12" x 18" से कम है के उपयोग पर प्रतिबंध अधिरोपित किया था ।

और उपरोक्त अधिसूचना, तारीख 4–6–2004 के अतिक्रमण में अधिसूचना संख्याः एसटीई–एफ (4)–2/2008, तारीख 7–7–2009 और तारीख 13–8–2009 द्वारा प्लास्टिक कैरी बैगज के उपयोग (उनके आकार और मोटाई को विचार में लिए बिना) व जीव अनाशित कचरे के बिखराव पर प्रतिबन्ध लगाया था और साथ ही हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 7–क के अधीन प्रवेश करने और निरीक्षण करने तथा उक्त अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या उपरोक्त पाबंदी के उल्लंघन का शमन करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्राधिकृत भी किया गया था ।

और प्रतिबन्ध के अधिरोपण की अनुपालना में जीव अनाशित कचरे के बिखराव और प्लास्टिक कैरी बैगज के उपयोग को रोकने के कार्यक्रम को ज्यादा प्रभावी व गति प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्याः एसटीई–एफ (4)–2/2008-I, तारीख 20–8–2010, अधिसूचना संख्याः एसटीई–एफ (4)–2/2008-II, तारीख 4–11–2010 तथा 22–12–2010 द्वारा प्रवेश करने और निरीक्षण करने के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु और अधिक अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है ।

और इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एसटीई–एफ (4)–2/2008, तारीख 13–8–2009 द्वारा निर्वर्त्य (डिस्पोजेबल) प्लास्टिक कप, प्लेट व गिलास के प्रयोग पर प्रतिबन्ध का प्रवर्त्तन तत्समय आस्थगित किया गया था किन्तु अब यह अनुभव किया जा रहा है कि ये प्लास्टिक वस्तुएं बिखराव का मुख्य हेतुक है और आदिकालीन हिमालय परिवेश को क्षतिग्रस्त कर रही हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3–क की उप–धारा (1) के अधीन उन्हें प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती हैं कि दुकानदारों, विक्रेताओं, थोक व्यापारियों, फुटकर विक्रेताओ, फेरीवालों आदि सहित कोई भी व्यक्ति या संस्था/वाणिज्यिक स्थापन प्लास्टिक वस्तुएं जैसे निर्वर्त्य (डिस्पोजेबल) प्लास्टिक कप, प्लेट व गिलास, जो हिमाचल